प्रेस नोट दिनाँकः- 29.08.2022 थाना लोटन

थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर से 01 अभियुक्त को एनबीडब्लू वारण्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशनव श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली लोटन श्री देवनन्दन उपाध्याय के नेतृत्व में संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एनबीडब्लू वारण्ट की कार्यवाही के अन्तर्गत 01 अभियुक्त को दिनांक 28.08.2022 को समय करीब 19.40 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. दिलीप कुमार पुत्र शिवपूजन साकिन मुड़ली थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1. हे0का0 जितेन्द्र कुमार गौड़ थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर
2. का0 अरुण कुमार पाण्डेय थाना को.लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनाँकः- 29.08.2022

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस कार्यालय के महिला सहायता प्रकोष्ठ व फीडबैक सेल का औचक निरीक्षण कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश।

आज दिनॅाक 29.08.2022 को पुलिस अधीक्षक **सिद्धार्थनगर** श्री अमित कुमार आनन्द द्वारा पुलिस कार्यालय के महिला सहायता प्रकोष्ठ शाखा का औचक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निरीक्षण के दौरान कार्यालय के रजिस्टर में अंकित उपस्थिति से अधिकारियों/कर्मचारियों का मिलान किया गया तथा नियुक्त समस्त पुलिस कर्मियों के ड्युटी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए कार्यालय के कार्यो की समीक्षा की गई। तत्पश्वात महोदय द्वारा फीडबैक शाखा का निरीक्षण कर मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री मोती लाल यादव, प्रभारी महिला सहायता प्रकोष्ठ व अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक 29-08-2022

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02 परिवारों को बिखरने से बचाया गया।

श्री अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 29-08-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 02 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया | तथा 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है। 02परिवारों को बिखरने से बचाने मे महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान ,म०हे०मु० सविता सिंह, ,महिला आरक्षी नेहा सिंह, महिला आरक्षी प्रतीची शुक्ला का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

निस्तारित पत्रावली का विवरण

1. शमा परवीन पत्नी मुख्तार साकिन बसडीलिया ,थाना डुमरियागंज ,जनपद सिद्धार्थनगर।
2. आबिदा पत्नी आलम साकिन नेतवर, थाना कोतवाली लोटन, जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेसनोट दिनांक 29.08.2022

थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सिद्धार्थनगर श्री अमित कुमार आनन्द के आदेश पर अपराध व अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी महोदय, सदर श्री प्रदीप कुमार यादव एवं प्रभारी निरीक्षक थाना उसका बाजार श्री राजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में आज दिनांक 29.08.2022 को मु0अ0सं0 110/2022 धारा 354बी भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कृष्ण मोहन साहनी पुत्र श्रीराम साहनी साकिन परती बाजार थाना उसका बाजार जनपद सि.नगर को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 श्री राजेश कुमार तिवारी थाना उसका बाजार जनपद सि.नगर।
2. का.अखिलेश सिंह थाना उसका बाजार जनपद सि.नगर।
3. का.दीपक कुमार थाना उसका बाजार जनपद सि.नगर।
4. का.विजय कुमार थाना उसका बाजार जनपद सि.नगर।

प्रेस नोटःदिनांक 29.08.2022

यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर आज दिनांक 29.08.2022 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री अमित कुमार आनन्द के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात श्री अमरेश कुमार यादव मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम के माध्यम से सनई तिराहा, साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया तथा चेकिंग के दौरान यातायात नियम का पालन न करने वाले 25 वाहनों से 26500/-रू0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली संख्या में भारी कमी लायी जा सके।